web site-www.upjn.org
फैक्स नं0:— 0522—2622389

फोन नं0:— 0522—2620172, 2620173
— 0522—2620272

प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम, 6—राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक— 2563 /जन सूचना इकाई— 0072 /15 दिनांकः— 09-11-.2015

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित प्रकरणों में शुल्क की प्राप्ति हेतु निदेशक (सा0प्र0), सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, 242, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र सं0—4285/ब्यूरो/सा0 प्र0/2008 लखनऊ दिनांक—19 अगस्त, 2008 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के प्रस्तर सं0—24 के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यवस्था दी गयी है।

"शुल्क की प्राप्ति

24. यथा संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क एंव लागत विनियमन) नियमावली 2006 के अनुसार सूचना के लिए प्रार्थना करने वाला कोई भी व्यक्ति देय शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण के **लेखाधिकारी** को रोकड़ में या डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश द्वारा कर सकता है। लोक प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि शुल्क के भुगतान के उक्त तरीकों में से किसी को भी मना नहीं किया जाये। सूचना के अधिकार अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत शुल्क प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी को नामित कर देना चाहिए।"

2. प्रधान कार्यालय में लेखाधिकारी के नाम से कोई भी खाता उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से उनके नाम से संदेय प्राप्त होने वाले शुल्क के डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश वापस लौटाने पड़ते हैं तथा विभाग में नामित अधिकारी के नाम से संदेय कर दूसरा भुगतानादेश प्रेषित करने हेतु लिखा जाता है जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. अतः यह आवश्यक है कि प्रधान कार्यालय में शुल्क प्राप्त करने हेतु नामित अधिकारी का विवरण स्पष्ट अंकित किया जाय तथा उसकी सूचना विभाग की वेबसाइट www.upjn.org पर भी अपलोड करायी जाय।

4. उपरोक्त के क्रम में व्यवस्था दी जाती है कि निम्नलिखित अधिकारियों के नाम से ही संदेय शुल्क से संबंधित डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश प्रेषित किये जाये तथा उक्त ज्ञाप की प्रति विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाय।

1. **जन सूचना अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।**
2. **अधिशासी अभियन्ता (कैश), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।**

(प्रवीण माथुर)
जन सूचना अधिकारी (समन्वय)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः—
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—निजी सचिव/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2—समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।
3—निदेशक, सी0एण्ड डी0एस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4—विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5—सचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6—सचिव (व्यवस्था)/अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0 सेल), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति विभागीय वेबसाइट www.upjn.org पर अपलोड कराने हेतु।
7—समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।
8—समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।
9—अधिशासी अभियन्ता (कैश), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को कार्यालय ज्ञाप संख्या—605/जन सूचना इकाई—कार्यालय ज्ञाप/2015 दिनांक 27.04.2015 के संदर्भ में।
10—मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11—गार्ड फाइल (जन सूचना इकाई—0070)

जन सूचना अधिकारी (समन्वय)